न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 591 सन 2018

अनवान :–

1. विरेन्द्र पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. मोनिका पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. रूपराम पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 09.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खसरा न0 179 की 11.6090हैक , खसरा न0 213 की 7.2340हैक खसरा न0 266 की 2.8460हैक खसरा न0 267 की 3.0220हैक खसरा न0 287 की 16.2630हैक कुल तादादी 40.9740हैक भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज है जिसमें डूगरराम की 648 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार थी डूगंरराम के फौत हो जाने के बाद उसके वारिस वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरास्तन से दर्ज हो चुकी है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनों को बहिब का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खसरा न0 179 की 11.6090हैक , खसरा न0 213 की 7.2340हैक खसरा न0 266 की 2.8460हैक खसरा न0 267 की 3.0220हैक खसरा न0 287 की 16.2630हैक कुल तादादी 40.9740हैक में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 648 हिस्सा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official